झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश–सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,वृहस्पतिवार,दिनांक :– 01 फाल्गुन,1935 (शं0) को 20 फरवरी, 2014 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01–	अ0सू0–12	श्री संजय कुमार सिंह यादव	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन	16.02.14
02–	अ0सू0–17	श्री हेमलाल मुरमू	ट्रांसफॉरमर लगाना।	ऊर्जा	16.02.14
03–	अ0सू0–21	श्रीमती सुधा चौधरी	राशन सामग्रियों को विभाग द्वारा पहुँचाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	16.02.14
04–	अ0सू0–36	श्रीमती सुधा चौधरी	बाँध का निर्माण।	जल संसाधन	16.02.14
05–	अ0सू0–18	श्री हेमलाल मुरमू	मांग के अनुरुप विद्युत आपूर्ति ।	ऊर्जा	16.02.14
06–	अ0सू0–08	श्री विनोद कुमार सिंह	अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति।	ऊर्जा	15.02.14
07–	अ0सू0–32	श्री जनार्दन पासवान	डैमों की मरम्मति।	जल संसाधन	16.02.14
08–	अ0सू0–31	श्री अमित कुमार यादव	वेतन का भुगतान एवं नियमितिकरण।	समाज कल्याण	16.02.14
09–	अ0सू0–38	श्री निजामउद्धीन अंसारी	मोटर पम्प एवं ट्रांसफॉमर की मरम्मति।	जल संसाधन	16.02.14
10–	अ0सू0–07	श्री बंधु तिर्की	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	15.02.14
11–	अ0सू0–25	श्रीमती विमला प्रधान	रामरेखा कैनाल का कार्य पूर्ण कराना।	जल संसाधन	16.02.14
12–	अ0सू0–24	श्री कमल किशोर भगत	झालको कर्मियों को सुविधा।	जल संसाधन	16.02.14

कृ0पृ0उ0.........2

01	02	03	04	05	06
13-	अ0सू0-35	श्री जनार्दन पासवान	अनुदान राशि देना।	अल्पसंख्यक कल्याण	16.02.14
14-	अ0सू0-37	श्री कमल किशोर भगत	भोजन की गारण्टी कानून लागू करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	16.02.14
15-	अ0सू0-04	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	चाहरदिवारी का निर्माण।	अल्पसंख्यक कल्याण	14.02.14
16-	अ0सू0-01	श्री चन्द्रिका महथा	विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	14.02.14
17-	अ0सू0-13	श्री माधवलाल सिंह	लम्बित मानदेय का भुगतान।	समाज कल्याण	16.02.14
18-	अ0सू0-15	श्री बन्ना गुप्ता	बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण।	ऊर्जा	16.02.14
19-	अ0सू0-05	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	बिरहोर परिवारों के लिए आवास निर्माण।	आदिवासी कल्याण	14.02.14
20-	अ0सू0-06	श्री बंधु तिर्की	पूर्ण आवंटन उपलब्ध कराना।	खाद्य सा0उ0 मामले	15.02.14
21-	अ0सू0-27	श्री सौरभ नारायण सिंह	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा	16.02.14
22-	अ0सू0-20	श्री बन्ना गुप्ता	विवरणी शीघ्र उपलब्ध कराना।	कल्याण	16.02.14
23-	अ0सू0-34	श्री सौरभ नारायण सिंह	पावर सब-स्टेशन को चालू करना।	ऊर्जा	16.02.14
24-	अ0सू0-10	श्री फूलचन्द मण्डल	बंद सिंचाई योजना को चालू करना।	जल संसाधन	15.02.14
25-	अ0सू0-26	श्री अमित कुमार यादव	गबन रोकने हेतु कार्रवाई।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	16.02.14
26-	अ0सू0-23	श्रीमती विमला प्रधान	मानदेय देना।	कल्याण	16.02.14
27-	अ0सू0-22	श्री माधवलाल सिंह	बी0पी0एल0 सूची में सूचीबद्ध करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	16.02.14
28-	अ0सू0-14	श्री संजय कुमार सिंह यादव	पावर सब-स्टेशन का निर्माण।	ऊर्जा	16.02.14
29-	अ0सू0-11	श्री उमाकान्त रजक	नहर परियोजना का निर्माण।	जल संसाधन	15.02.14
30-	अ0सू0-09	श्री विनोद कुमार सिंह	राशन की आपूर्ति।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	15.02.14

कृ0पृ030...3

01	02	03	04	05	06
31-	अ0सू0-02	श्री चन्द्रिका महथा	चेकडैम का निर्माण।	जल संसाधन	14.02.14
32-	अ0सू0-03	श्री जगरनाथ महतो	विद्युत तार को बदलना।	ऊर्जा	14.02.14

राँची,
दिनांकः-20फरवरी,2014(ई0)

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/2010-......537....../वि0स0,राँची,दिनांकः- 18 फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नवीन कुमार 18.02.14
(नवीन कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-09/2010-......537....../वि0स0,राँची,दिनांकः- 18 फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन कुमार 18.02.14
(नवीन कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण/

माननीय स०वि०स०, श्री संजय कुमार सिंह यादव के द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–12 का जल संसाधन विभाग से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज भीमबराज के गेट में सुलीस रबर खराब होने के कारण बराज का पानी सोन नदी में बह जाता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित बराज का पानी सोन नदी में बह जाने से कैनाल द्वारा किसानों को समुचित मात्रा में पटवन (सिंचाई) के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज भी बराज के गेट में सुलीस रबर बदलवा कर बराज से बहकर बर्वाद होने वाले पानी को रोककर सिंचाई हेतु किसानों को उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	रब्बी सिंचाई के बाद समस्या के निदान हेतु यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या :– 6/ज0स0वि0–10–02/2014 1534 /राँची, दिनांक– 19-2-14

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–272 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(2)

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–17 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पत्र संख्या 120/30/80, दिनांक 08 अगस्त 2013 के आलोक में दिनांक 27 जुलाई 2013 एवं अन्य तिथ को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बरहेट विधान सभा क्षेत्र के कई स्थानों पर ट्रांसफरमर लगाने हेतु सरकार एवं विद्युत विभाग के शीर्ष पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, दुमका को पत्र प्रेषित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बरहेट प्रखण्ड में अद्योहस्तक्षरी द्वारा आवश्यकता अनुरूप कई ट्रांसफरमर की मांग के विरूद्ध सिर्फ उक्त प्रखण्ड के कुसमा ग्राम में एक ट्रांसफरमर की आपूर्ति की गई है;	बरहेट प्रखण्ड के नवाबटोला में 100 के०भी०ए०, भोगनाडीह में 100 के०भी०ए० एवं कुसमा में 25 के०भी०ए० का जला ट्रांसफॉमर बदल दिया गया है। पंचकठिया का ट्रांसफॉमर चालू है। ग्राम सिमलढाब, कुम्हरिया का प्राक्कलन स्वीकृत कार्यादेश जारी है। कार्य प्रगति पर है एवं चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में ट्रांसफरमर लगाने एवं ट्रांसफरमर लगाने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में ट्रांसफॉमर लगाने हेतु कार्य प्रगति पर है एवं चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 382 /   दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

सरकार के उप सचिव

3

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0स0ू–21 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता का नाम
श्रीमती सुधा चौधरी,
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
श्री साईमन मराण्डी,
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में एफ0सी0आई0 गोदामों से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक राशन सामग्रियों को विभाग द्वारा पहुँचाने की व्यवस्था लागू है,	एफ0सी0आई0 के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों तक झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा खाद्यान्न पहुँचाया जाता है जबकि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक जिला प्रशासन के द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाया जाता है।
2	क्या यह बात भी सही है की उपर्युक्त व्यवस्था वर्तमान में जिला–पलामू में बंद है जिसके कारण डीलरों को परेशानी हो रही है और जनता को राशन का लाभ समय पर नहीं प्राप्त हो रहा है,	स्वीकारात्मक नही है। जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाई जा रही है तथा जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है। पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं न्युनतम तीन ग्रामीणों के द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न का सत्यापन तथा उनकी उपस्थिति में वितरण की व्यवस्था है।
3	क्या यह बात भी सही है की उपर्युक्त कार्य हेतु निविदा भी निकाली गई थी, बावजूद इसके व्यवस्था चालू नहीं हो सकी है,	निविदा निकाली गई थी। निविदा दाता का दर न्यूनतम 12.12 रूपये था जो निविदा समिति के द्वारा अव्यवहारिक पाये जाने पर निविदा निस्तार नहीं किया गया।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला में उपर्युक्त व्यवस्था प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	न्यूनतम दर के आकलन के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दर आकलन समिति गठित है। उक्त समिति के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों की दूरी के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के आलोक में प्रत्येक प्रखंड स्थित झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों की दूरी प्राप्त की जा रही है। अविलम्ब व्यवस्था लागू की जाएगी।

ज्ञापांक :–खा0प्र0 5–10 (विधान सभा)–12/2014 598 /राँची, दिनांक – 19.02.14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या–280 वि०स०, दिनांक 16.02.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/2014
सरकार के सचिव।

D:\Jawahar-2013-14\Kunj\New Microsoft Word Document.Doc14

(4)

श्रीमति सुधा चौधरी, स०वि०स० अल्प-सूचित प्रश्न सं०-36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड-छत्तरपुर के ग्राम-सड़मा के पास खडारू नाला पर कोई बड़ा बाँध नहीं है जिसके कारण उसका पानी बेकार बर्बाद हो जाता है, जबकि सरकार द्वारा इस संबंध में सर्वे भी हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त नाला पर बाँध बना देने से छत्तरपुर, सड़मा, खाटीन, लोहराही, कंगालीडीह, करमाकला आदि गाँवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ;	सड़मा, कंगालीडीह एंव छत्तपुर ग्राम में आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त गाँव के ग्रामीण बाँध के अभाव में सिंचाई की सुविधा से वंचित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खडारू नाला पर ग्राम-सड़मा के कंगालीडीह में बाँध का निर्माण कराकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यो?	सर्वेक्षण के उपरात योजना के संभ्वायता, निधि की उपलब्धता एंव क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 6/ज0सं0वि0-10-05/14 1535 राँची, दिनांक-19-2-14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-271 दिनांक 16.02.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित **प्रश्न संख्या–अ.सू.–18 की उत्तर सामग्री**

प्रश्नकर्त्ता श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला को 37 मेगावाट बिजली के मांग के विरूद्ध 14 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण जिला में विकास कार्य बाधित हो रही है और उपभोक्ताओं को कठिनाईयों का समना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में साहेबगंज जिले को लगभग 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
2. क्या यह बात भी सही है कि साहेबगंज जिला में कतिपय बिजली उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली खपत से अधिक बिजली विपत्र का भुगतान करने के लिए विवष किया जा रहा है और जिन गांवों में विभाग द्वारा बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, वहां के उपभोक्ताओं को भी बिजली विपत्र जारी की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिजली विपत्र का भुगतान लिया जाता है एवं जिन गांवों में बिजली आपूर्ति किसी कारण बाधित रहती है तो उस गांव का उस अवधि का विपत्रीकरण बन्द कर दिया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य में विवादित बिजली विपत्र के भुगतान हेतु बिजली उपभोक्ता न्यायालय का गठन और उक्त जिला में मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिष्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में साहेबगंज जिले को लगभग 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति प्राप्त हो रही है। साहेबगंज अंचल के उपभोक्ता हेतु दुमका में विद्युत उपभोक्ता न्यायालय गठित है। वर्त्तमान में एरिया बोर्ड स्तर पर विद्युत उपभोक्ता न्यायालय गठन का प्रावधान है। अंचल स्तर पर उक्त न्यायालय का गठन विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 383 / दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

सरकार के उप सचिव

(6)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–08 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरीडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड के सभी ग्रामों में चार घण्टे भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है ;	स्वीकारात्मकहै।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिरनी में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिरनी में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु गिरिडीह स्थित भोरन्डीहा ग्रीड से जमुआ तक 33 के0भी0 लाईन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में वन विभाग एवं रेलवे से अनापत्ती प्रमाण पत्र लेने का कार्य भी सम्मिलित है जो कार्य भी प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य के संपादन के उपरान्त सामान्य विद्युत आपूर्ति अगले जून 2014 तक प्रदान करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 380 / दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
सरकार के उप सचिव

(7)

श्री जर्नादन पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 20.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–32 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत वर्ष 1966–67 में सवार्ड के द्वारा प्रतापपुर प्रखण्ड के मंझगाँवा, हंटरगंज प्रखण्ड के ढुलकी, गोलाई, सुंदरी तथा सिंचाई विभाग के द्वारा डहुरी प्रखण्ड चतरा में डैमों का निर्माण कराया गया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी डैम साधारण मरम्मति के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं साथ ही कृषक सिंचाई से वंचित रह जा रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। इन योजनाओं से आंशिक सिंचाई दी जा रही है। योजनाओं के नहर तटबंध एवं संरचनाओं के क्षतिग्रस्त रहने के कारण नहर के अंतिम भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त सभी डैमों का मरम्मति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त योजनाओं के आवश्यक मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज०स०वि०–10–09/2014–1538 राँची, दिनांक 19-2-14

प्रतिलिपि :1. उप सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र० –270 दिनांक 16.02.2014 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. मुख्य अभियंता(मो०), मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा –6, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/14
संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के 52 स्वीकृत बाल विकास परियोजना का सृजन वर्ष 2002 में किया गया, जिसमें संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक–सह–टंकक एवं आदेशपाल आदि के पद पर कर्मियों की नियुक्ति की गयी है;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–846 दिनांक–16.07.2005 द्वारा 52 नई स्वीकृत बाल विकास परियोजनाओं में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक–सह–टंकक एवं आदेशपालों आदि के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी थी।
2	क्या यह बात सही है कि संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन से भी कम वेतन का भुगतान किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। वित्त विभाग की सहमति एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0–965 दिनांक– 25.03.2009 को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय संकल्प सं0–924 दिनांक–10.05.2011 द्वारा समेकित राशि क्रमशः महिला पर्यवेक्षिका–रु0 13500/–,सांख्यिकी सहायक–रु0 13500/–, लिपिक–सह–टंकक–रु0 7500/–एवं आदेशपाल– रु0 6000/– प्रतिमाह की दर से एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार इन्हें वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एवं नियमितिकरण अविलम्ब करना चाहती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। नियमितिकरण के प्रस्ताव के संबंध में विभाग विचार कर रही है।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अल्पसूचित – 90/2014– 369 राँची, दिनांक : 19 फरवरी 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –275 वि० स० दिनांक –16.02.2014 के आलोक में 180 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 15.2

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री निजामुदद्दीन अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड स्थित जरिसिंगा पंचायत अंतर्गत कोरियाडीह ग्राम में भालकों की सिचांई परियोजना अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित सिंचाई परियोजना का मोटर पम्प एंव विधुत ट्रांसफार्मर वर्षो से खराब होने के कारण सिंचाई सुविधा बाधित है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित मोटर पम्प एंव ट्रांसफार्मर का मरम्मति इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बन्द पड़े लिफ्ट एरिगेंशन को चालू करने की दिशा में योजना कि संभाव्यवता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–10–10/14 1532 राँची, दिनांक–19-2-14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–274 दिनांक 16.02.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

6_10_10_14

(10)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–07 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बंधु तिर्की, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बेड़ों प्रखण्ड के ग्राम–खुखरा के रानीटोला, दांदपाड़ा, बगीचाटोली, रतनटोली, श्रद्धाबाड़ी, मुरकट्टी, मठयानी, खुरहाटोली में विद्युतीकरण का कार्य अब तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है। सभी वर्णित नाम मुख्य गांव के अविद्युतीकृत टोले है।
2. क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत चान्हों प्रखण्ड अन्तर्गत चामा पंचायत के ग्राम–बलथरवा, चण्डीस्थान, चटनियापानी, सुन्दरगढ़, बरगड़हा पतरातू, मुड़कम, हंगराटोली, सखुआटांड, आनन्दषिला, महुआपानी, पुरनाडीह, बागराटोली, जामुनटोली, परसातरी एवं अम्बाटांड़–ताला, खुरहाटोली–ताला, बुकाटोली–रोल, तमाड़ खलियान–चोरेया में विद्युतीकरण का कार्य अब तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है। सभी वर्णित नाम अविद्युतीकृत टोले है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेड़ों एवं चान्हों प्रखण्ड के वर्णित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार के 12th योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित ग्रामों एवं टोलों का विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए डी0पी0आर0 तैयार कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति के पश्चात सभी छूटे हुए गांवों/टोलो को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपरोक्त वर्णित ग्रामों एवं टोलों को उर्जान्वित करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 384 /　　　　　　　　　　दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
सरकार के उप सचिव

11

माननीय स॰वि॰स॰ श्रीमति बिमला प्रधान द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं॰–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में कंसजोर एवं रामरेखा डैम स्थित है एवं इनसे कृषि के लिए सिंचाई का कार्य किया जाता है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात भी सही है कि कांसजोर डैम के दोनों कैनाल कच्चे है और जल रिसाव से कृषकों के खेत बर्वाद हो रहे है तथा नहरों में मिट्टी का भराव हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। कंसजोर डैम के दोनों कैनाल मिटटी के हैं, बाँयीं मुख्य नहर से जल रिसाव की कोई समस्या नहीं है। दाँयीं मुख्य नहर के गेट में लीकेज के फलस्वरूप पानी का बहाव होते रहता है जिससे चाट की जमीन आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। गेट को ठीक करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। गेट मरम्मति का कार्य पूर्ण करने के फलस्वरूप रिसाव की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है कि रामरेखा डैम के राईट कैनाल को 19 कि॰मी॰ लम्बा बनना था, जिसमें सिर्फ 11 कि॰मी॰ ही बना है एवं इस वित्तीय वर्ष में राशि रहने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो सका है ;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामरेखा कैनाल का काम पूरा कराने एवं लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रामरेखा जलाशय योजना के नहरों का निर्माण कार्य कराने का कार्यक्रम है। नहर के अवशेष कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कर पूरा करने के लिये संवेदक को नोटिस भेजा गया है। कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर एकरारनामा की शर्त्तों के आलोक में संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज॰सं॰वि॰–10–04/2014–1539/राँची, दिनांक 19-2-14

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं॰–प्र॰–273/वि॰ स॰ दिनांक 16.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा॰–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
संयुक्त सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग, राँची।

(12)

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झालकों के वर्ष 2011–12 बकाये वेतन का भुगतान हेतु सरकार द्वारा रू० 5.40 करोड की सैद्धान्तिक सहमति के उपरांत भी लंबित है?	अस्वीकारात्मक। झालको एक वाणिज्यिक संस्था है वेतनादि का भुगतान स्वंय करेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि एम०डी० झालको के साथ दिनांक 19.06.13 को सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत भी कर्मियों को छठा वेतनमान ए०सी०पी० प्रोन्नति, ग्रेच्युटि लीव–इन–कैशमैन्ट, अनुकम्पा पर नियुक्ति आदि का सुविधा देने पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झालको एक वाणिज्यिक एवं स्वतंत्र निकाय है। अतः इन सुविधाओं के संबंध में अपनी आय–व्यय/बजट के आधार पर झालको निदेशक पर्षद् कार्रवाई कर सकती है।
3.	क्या यह बात सही है कि हरित क्रांति को बल देते हुए झालको को सरकार द्वारा वाणिज्यिक संस्था से विलोपित करते हुए कल्याणकारी संस्था के रूप में संसूचित करने कार निर्णय लिया गया था।	अस्वीकारात्मक। झालको को कल्याणकारी संस्था के रूप में संसूचित करने संबंधी कोई भी आदेश सरकार द्वारा निर्गत नहीं हुआ है।
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झालको को कल्याणकारी संस्था संसूचित करने, बजट का प्रावधान करने तथा अनुकम्पा पर नौकरी देने का विचार रखती है, हॉ ताक कबतक नहीं तो क्या?	उपयुक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6/ज०स०वि०–10–07/2014...... 1537 रॉंची, दिनांक :– 19-2-14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–125 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (मो०), मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशांखा–6, जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 19/2/14
(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग

14

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0स0–37 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता का नाम
श्री कमल किशोर भगत,
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
श्री साईमन मराण्डी,
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा–गुमला–सिमडेगा–लातेहार जिलों में भोजन का गारण्टी अधिनियम अभी तक लागु नहीं किया गया है;	सम्पूर्ण राज्य में अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागु नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात भी सही है भोजन का गारण्टी अधिनियम लागु नहीं होने से उपरोक्त उधृत जिलों के APL एवं BPL श्रेणी के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2013–14 के माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के लिए राज्य के लक्षित 19,62,000 ए0पी0एल0 परिवारों एवं 23,94,000 बी0पी0एल0 (अन्त्योदय सहित) परिवारों को तथा माह सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक के लिए लक्षित 11,15,833 अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त उधृत जिलों में तत्काल पारदर्शी तरीके से भोजन का गारण्टी अधिनियम लागु करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागु किया जाना है जो कि अभी प्रक्रियाधीन है।

ज्ञापांक :– खा0प्र0 5–10(विधान सभा)– 14/2014 501 /राँची, दिनांक – 18.02.14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या– 277 वि०स०, दिनांक 16.02.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2014

सरकार के सचिव।

D:\Jawahar-2013-14\Kunj\New Microsoft Word Document.Doc13

15

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 20.02.2014 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–4 की उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि विश्वविख्यात मैक्लुस्कीगंज में इसाई एवं मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में चहारदिवारी नहीं है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चहारदिवारी नहीं रहने से कब्रिस्तान की भूमि पर दबंगों एवं भू–माफियाओं की नजर है।	इस संबंध में प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर कोई आवेदन/सूचना उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मैक्लुस्किगंज स्थित इसाई तथा मुस्लिम कब्रिस्तान के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

19/2/14

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–8/वि0स0प्र0–12/2014 392 राँची, दिनांकः– 19/2/14

प्रतिलिपिः– श्री नवीन कुमार, उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–195 दिनांक 14.02.14 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/14

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(16)

श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–01 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री चन्द्रिका महथा, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड के देवपहाड़ी में 133 KV का पावर सब स्टेशन स्वीकृत है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उग्रवाद प्रभावित देवरी प्रखण्ड के उक्त 133 KV के पावर सब स्टेशन को विद्युत सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु धरातल पर उतराने हेतु अब तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है ;	देवरी प्रखण्ड के अन्तर्गत देवरी में 33/11 के0भी0 का पावर सब स्टेशन बनाया गया है जो देवरी प्रखण्ड के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित 133 KV के पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चूंकि देवरी प्रखण्ड के अन्तर्गत एक पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है। अतः विद्युतीय भार एवं तकनीकी रूप से देवरी प्रखण्ड के अन्तर्गत देव पहाड़ी में अलग से पावर सब स्टेशन का निर्माण करने की वर्त्तमान में कोई योजना नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 373 /   दिनांक 18-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/14

सरकार के उप सचिव

(17)

श्री माधव लाल सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड के सहायिका तथा सेविका का निर्धारित मानदेय की राशि वर्ष 2008–09 में अक्टूबर 2008 से फरवरी 2009 तक का भुगतान नही किया गया है;	बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का मानदेय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2008–09 (मार्च 2008 से फरवरी 2009) में किए जाने हेतु समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–74 दिंनाक–15 मई 2008 एवं पत्रांक– 174 दिनांक– 6 जनवरी 2009 द्वारा आवंटन दिया गया था परन्तु कोषागार से राशि की निकासी नही हो सकी। पुनः उनके मांग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिकाओं का मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–113 दिनांक–13.12.2011 द्वारा आवंटन दिया गया था, जिसकी निकासी कोषागार से नही हो सकी। अतः पुनः विभागीय पत्रांक–158 दिनांक–18.02.2014 के द्वारा आवंटन दे दिया गया है, जिससे सेविका का बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि सेविका तथा सहायिका को देय मानदेय की राशि में से पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा पचास प्रतिशत राज्य सरकार भुगतान करती है;	अस्वीकारात्मक। सेविका एंव सहायिकाओं को देय मानदेय की राशि में से 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान करती है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अभी सेविका तथा सहायिका को पच्चीस प्रतिशत ही राशि भुगतान की जा रही है;	सरकार द्वारा अभी सेविका एंव सहायिकाओं निर्धारित राशि का पूर्ण रुप से भुगतान किया जाता है। इसमें केन्द्रांश 90% (रु0 2700) एंव राज्याशं 10% (रु0 300) की राशि भुगतान की जा रही है। इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा राज्य मद से सेविकाओं को 700/– रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिका को 350/– रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार सेविका तथा सहायिका को पचास प्रतिशत मानदेय का भुगतान करने का आदेश तथा बोकारो जिला के कसमार प्रखण्ड में कार्यरत सेविका तथा सहायिका का अक्टूबर, 2008 से फरवरी 2009 तक के लम्बित मानदेय का भुगतान करना चाहती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिकाओं में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्ञापांक – स० क०/वि0स0 अल्पसूचित – 89/2014– 367 राँची, दिनांक : 19 फरवरी 2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० –276 वि० स० दिनांक –16.02.2014 के आलोक में 180 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sanjay\Secretariat_Social Welfare\Tiwary Sir\vidhan sabha answer.doc

(18)

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित
प्रश्न संख्या–अ.सू.–15 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि 05 दिसम्बर 2012 को जमशेदपुर में बिजली वितरण के लिए सरकार का टाटा पावर के साथ लिखित समझौता हो गया है;	हाँ यह बात सही है कि दिनांक 05 दिसम्बर 2012 को जमशेदपुर में बिजली वितरण के लिए झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का टाटा पावर के साथ एकरारनामा हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में जे0एस0ई0बी0 की घरेलू बिजली की दर रू0 2.75 पैसे प्रति यूनिट से 3.00 रूपये प्रति यूनिट है;	वर्त्तमान में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की शहरी घरेलू बिजली की दर (एनर्जी चार्ज) रू0 2.40 प्रति यूनिट से रू 3.00 प्रति यूनिट है।
3. क्या यह बात सही है कि बिजली वितरण का कार्य निजी कंपनियों को दिए जाने से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी जिसका अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा;	बिजली की दर का निर्धारण झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर टैरिफ पेटीशन के आधार पर माननीय झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा किया जाता है। टैरिफ दायर करने का अधिकार वितरण फ्रेन्चाईजी को नहीं दिया गया है।
4. उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिजली के दरों में निजी कंपनियों द्वारा बढ़ोतरी किए जाने पर विशेष नियमावली बनाते हुए नियंत्रण रखने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बिजली की दर का निर्धारण झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दायर टैरिफ पेटीशन के आधार पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा करने का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 387 /   दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/02/14
सरकार के उप सचिव

(19)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित 425 प्र0-5 दिनांक-20.02.14 से संबंधित प्रश्नोत्तर।

क्र0 सं0	प्रश्न	माननीय मंत्री आदिवासी कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्डान्तर्गत लपरा ग्राम स्थित 44 आदिम जनजाति बिरहोर परिवार खुले आकाश में सोने को मजबूर है।	अस्वीकारात्मक। राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत लपरा ग्राम स्थित 44 आदिम जनजाति बिरहोर परिवार अपने परिवारिक गृह में निवास करते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण राँची द्वारा दिनांक-18.10.2011 को उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि तथा प्रखण्ड के पदाधिकारी भी मौजूद थे।	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लपरा गाँव में आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों के लिए 44 आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय आवंटनादेश संख्या-258 दिनांक-06.12.12 द्वारा लपरा गाँव में आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों के लिए 44 आवास निर्माण कराने हेतु आवंटन परियोजना उपनिदेशक, आई0टी0डी0ए0, राँची को उपलब्ध करा दिया गया है। निर्माण कार्य चल रहा है।

19/2/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक-4/स0वि0स0(प्रश्न)-1/2014-382 राँची, दिनांक:- 19/02/14

प्रतिलिपि:-उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-196 दिनांक-14.02.14 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

19/2

D:\2013-14\Raza\Thakur Sir\Vidhan sabha Questionire.doc

(20)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 06 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता का नाम
श्री बंधु तिर्की,
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
श्री साईमन मराण्डी,
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत माण्डर, चान्हों, लापुंग, बेड़ों एंव ईटकी प्रखण्ड के डीलरों को कार्डधारियों की संख्या के अनुसार किरोसिन तेल का आवंटन नहीं दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी जिलों को किरासन तेल का आवंटन उनके हाउस होल्ड की संख्या के आधार पर दिया जाता है। तद्नुसार माण्डर, चान्हों लापूंग, बेड़ो आदि प्रखण्डों के लिये किरासन तेल का वितरण किया जाता है।
2	क्या यह बात भी सही है की वर्तमान में फरवरी, 2013 में जिन कार्डधारियों का बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराया गया था, केवल उनका ही आवंटन डिलरों को दिया जा रहा है, जबकी शेष कार्डधारियों का बैंक खाता संख्या भी जून, 2013 में डीलरों द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है;	राँची जिला से माह जुलाई 2013 में प्राप्त हाउसहोल्ड की संख्या के आधार पर जिला को किरासन तेल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्नों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिलान्तर्गत माण्डर, चान्हों, लापुंग, बेड़ों एंव ईटकी प्रखण्ड के सभी डीलरों को कार्डधारियों के जमा किये गये बैंक खाता संख्या के आधार पर किरोसिन तेल का पूर्ण आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्न 1 और 2 के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 05–10 (विधान सभा)–13/2014 471 /राँची, दिनांक – 18-2-14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या– 209 वि०स०, दिनांक 15.02.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/2/2014
सरकार के सचिव।

D:\Jawabar-2013-14\Kunj\New Microsoft Word Document.Doc15

(21)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–27 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पी0टी0पी0एस0 कम्पनी पतरातु थर्मल प्लान्ट के निर्माण में बलकुदरा, कटिया, रसदा, लगवा, पतरातू, जयनगर, गेगदा, किन्नी, अरासाहा, हरिहरपुर, चूतवां, बरघुटवा, मेलानी, नेतुआ, तालाटांड, उचरिंगा, सुलियां, पलानी, बरतुआ, कोतो, सिमराटांड आदि कई गांव का भूमि अधिग्रहण किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो खण्ड–। में वर्णित गांवों को सरकार पी0टी0पी0एस0 से एन0ओ0सी0 लेकर मुफ्त में पेय जल एवं विद्युत मुहैया करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 381 / दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
सरकार के उप सचिव

22

श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पुछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कई कॉलेज के प्राचार्यों द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए विवरणी उपलब्ध नहीं कराये गये है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विवरणी निर्धारित अवधि में अप्राप्त होगा, उन शिक्षण संस्थाओं का नाम कल्याण विभाग के ई पोर्टल से हटाये जाने का प्रवधान है।	अस्वीकारात्मक।
3	उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्रताशीघ्र कॉलेजों से विवरणी उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों	उपर्युक्त खण्डों से स्वतः स्पष्ट है। 1. ई0–कल्याण पोर्टल पर संस्थानों के नामांकन हेतु निर्गत दिशानिदेश के अनुसार जिस संस्थान का नाम अद्यतन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त है, उनका नामांकन ई0–कल्याण पोर्टल पर कर लिया जायेगा, परंतु वैसे संस्थानों से फीस संरचना संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर छात्रवृति एवं भुगतान किया जायेगा। पूर्व में नामांकित संस्थानों के उनके लेटर हेड में संस्थान की सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम की मान्यता अवधि, पाठ्यक्रम की फीस संरचना का उल्लेख करते हुए सम्बद्धता एवं मान्यता तथा मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकार द्वारा निर्धारित फीस संरचना सम्बंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है, परंतु इसका छात्रवृति वितरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 2. पूर्वी सिंहभूम में 89 संस्थान के विरुद्ध 12 संस्थानों का डाटा अपलोड किया गया है।

19/2/14

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

ज्ञापांक–4 / वि0स0प्र0(छात्रवृति)–1 / 14 393 रॉंची, दिनांक:– 19/02/14

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–281 दिनांक–16.02.14 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/14

(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(23)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–34 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षो से हजारीबाग जिलान्तर्गत कटकमसांडी में पावर सब स्टेशन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात भी सही है कि जे0एस0ई0बी0 को डी0भी0सी0 के द्वारा थर्ड वे का कॉमरसियल क्लर्यलेन्स नहीं दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड कटकमसांडी में पॉवर सब स्टेशन नहीं चालू होने के कारण ग्रामीणों को चौबीस घंटा में मात्र 04 घंटा ही बिजली मिल पाती है	अस्वीकारात्मक। प्रखण्ड कटकमसांडी के ग्रामीणों को 12 से 14 घंटा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कॉमरसियल क्लेयरेंस कराकर कटकमसांडी पॉवर सब स्टेशन को चालू करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	डी0भी0सी0 से कमाण्ड क्षेत्र में 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु कामर्शियल क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कटकमसांडी सब स्टेशन हेतु 5 एम0भी0ए0 लोड की स्वीकृति का प्रस्ताव पत्रांक 1747 दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से डी0भी0सी0 को प्रेषित है। मुख्य अभियंता (वा0 एवं रा0) के पत्रांक 71 दिनांक–16.01.2014 तथा 106 दिनांक 23.01.2014 द्वारा डी0भी0सी0 को 3rd Circuit Charge करने हेतु अनुरोध किया गया है। कॉमरसियल क्लेंसरेंस प्राप्त होते ही तथा हजारीबाग से कटकमसांडी पावर सब–स्टेशन तक बाकी बचे हुए 33 के0भी0 का विद्युत तार जोड़ने के पश्चात कटकमसांडी पावर सब–स्टेशन को चालू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 386 / दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

सरकार के उप सचिव

(24)

श्री फूलचन्द्र मंडल, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोबिन्दपुर प्रखंड अंतर्गत गोरांगडीह, जयनगर सहित सभी लिफ्ट एरिगेशन योजना वर्षो से बन्द है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं बन्द होने से पूर्व हजारों एकड़ जमीन पर सिंचाई सुविधा किसानों को मुहैया हो पाती थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बन्द पड़े लिफ्ट ऐरिगेशन योजना को चालू वित्तीय वर्ष में पुनः शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यो?	बन्द पड़े लिफ्ट एरिगेंशन को चालू करने की दिशा में योजना कि संभाव्यवता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–10–08/14 1531 राँची, दिनांक– 19-2-14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–212 दिनांक 13.02.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉंके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

25

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जानेवाला अ०सू० संख्या–26 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री साईमन मराण्डी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा बी०पी०एल० कार्ड की छपाई की जा रही है, जिसका दर 211 रूपया प्रति कार्ड निर्धारित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। राज्य द्वारा निविदा के आधार पर मुद्रक का चयन किया गया है जिन्हें 2.99 रूपये (दो रूपये निन्यानवे पैसे) प्रति कार्ड का दर निर्धारित है।
2– क्या यह बात सही है, कि छापे जा रहे कार्ड की गुणवत्ता अत्यंत ही निम्न एवं घटिया है;	अस्वीकारात्मक।
3– क्या यह बात सही है कि कार्ड की छपाई का दर 5–6 रूपये प्रति कार्ड पर्याप्त है;	दर निविदा के आधार पर प्राप्त है।
4– यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इतनी बड़ी राशि के गबन को रोकने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यों ?	आवश्यकता नहीं है।

ज्ञापांक :– खा०प्र0–5–10 (विधान सभा)–17/2014 470 /राँची, दिनांक 18-02-14

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 278 वि0स0, दिनांक 16.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-2-2014

सरकार के सचिव।

26

श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0, द्वारा दिनांक-- 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-- 23 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	माननीय मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में कल्याण विभाग से संचालित दो आवासीय जनजातिय विद्यालय सेवई में हाटिंगहोडे है जो सिमडेगा मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आवासीय विद्यालय में पेयजल बिजली एवं शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, साथ ही स्कूल में स्थायी रुप से गार्ड कुक एवं शिक्षकों की कमी है। साथ ही अस्थायी रुप से रखे गार्ड कुक एवं शिक्षकों का मानदेय 2 साल से नहीं दिया गया है।	आंशिक रुप में स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय हाटिंगहोडे में तीन चापाकल चालू स्थिति में है। विद्यालय में 8 शौचालय सुचारु अवस्था में है। विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का वेतन लम्बित नहीं है। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय सेवई में 1 चापाकल चालू अवस्था में है तथा 1 कुआँ है। विधुत आपूर्ति ठीक है। 1 प्रधानाध्यापक एवं 1 सहायक शिक्षिका प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। मानदेय पर कार्यरत 1 गार्ड को भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 से लम्बित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन आवासीय जनजातिय विद्यालयों में स्थायी शिक्षक, स्थायी नाईट गार्ड, कुक को ससमय मानदेय देने की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला कल्याण पदाधिकारी सिमडेगा से प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

19/2/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक--06/15 वि0स0--15/14 383 रॉंची, दिनांक:-- 19/02/14

प्रतिलिपि:-- 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या--282 दिनांक--16.02.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/2/14
(विनोद शंकर सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

19/2

D:\2013-14\Raza\Mazhar\Vidhan sabha Questionire.doc

(27)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता का नाम
श्री माधव लाल सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता का नाम
श्री साईमन मराण्डी,
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त बी०पी०एल० के अन्तर्गत गरीबों को अनाज दिया जाता है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड में अभी भी बहुतायात मात्रा में गरीब महिलाओं एवं पुरूषों का नाम अतिरिक्त बी0पी0एल0 सूची में सूचीबद्ध नहीं है,	बी0पी0एल0 सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के 2002 –07 सर्वेक्षण एवं 2010 के पुर्नः सर्वेक्षण के आधार पर राज्य के लक्षित 23,94,000 बी0पी0एल0 (अन्त्योदय सहित) एवं 11,15,833 अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन दिया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः बी0पी0एल0 का सर्वे कराकर गरीब महिलाओं तथा पुरूषों को जिनका नाम अतिरिक्त बी0पी0एल0 की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, उन्हें सूचीबद्ध कराकर लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागु किया जाना है जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थों की पहचान की जानी है।

ज्ञापांक :– खा0प्र0 5–10 (विधान सभा)–15/2014 502 /राँची, दिनांक – 18-02-14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या–279 वि०स०, दिनांक 16.02.2014 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2014
सरकार के सचिव।

D:\Jawahar-2013-14\Kunj\New Microsoft Word Document.Doc12

(28)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–14 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड में विद्युत पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित विद्युत पावर सब–स्टेशन के अभाव में पिपरा प्रखण्ड वासियों को समुचित रूप में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत पिपरा प्रखण्ड में विद्युत पावर सब–स्टेशन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्राम पीपरा में प्रखण्ड कार्यालय अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन दिनों पिपरा क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र हरिहरगंज से विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। पिपरा प्रखण्ड मुख्यालय के इर्द–गिर्द जमीन उपलब्ध कराने हेतु अंचल पदाधिकारी को अनुरोध किया गया है। जमीन उपलब्ध होने के उपरान्त विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 385 / दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

सरकार के उप सचिव

(29)

मानवीय स०वि०स० उमाकान्त रजक द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–20.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिला में चास, चन्दनकियारी गुवाई–बराज परियोजना किसानों के हित में बनना था, जो निर्माण के अभाव में वर्षों से लम्बित है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। गोवई बराज योजना का कार्य वर्ष 1982–83 में पूरा किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के निर्माण से चास से चन्दनकियारी तक के किसानों के हजारों–हजार एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा बहाल होगी;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुवाई–बराज नहर परियोजना का निर्माण किसान हित में अविलंब करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	गोवई बराज योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने हेतु कराये जाने वाले आवश्यक ई०आर०एम० कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु परामर्शी का चयन प्रक्रियाधीन है। DPR के तैयार होने के पश्चात् भारत सरकार के AIBP के तहत ई०आर०एम० कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: 6/ज०सं०वि० – 10–03/2014 – 1596 राँची, दिनांक 19-2-14

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड, विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–प्र०–213/वि० स० दिनांक 15.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदा०–6 जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\2\MINZ\vidhan sabha\2013-14\Umakant Rajak_11_ 20.02.2014.doc 1

(30)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 20.02.2014 को पूछा जानेवाला अ०सू० संख्या–09 का उत्तर।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री साईमन मराण्डी
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि राज्य के 67 लाख परिवारों ने ए०पी०एल० व बी०पी०एल० कार्ड हेतु आवेदन दिया था;	जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं एन०आई०सी० के आँकडों के आधार पर राज्य के 61,86,558 परिवारों द्वारा राशन कार्ड हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।
2– क्या यह बात सही है, कि राशन कार्ड सेवा की अधिकार में शामील होने के बावजूद अब तकए०पी०एल० कार्ड नहीं मिला है व आंशिक रूप से वितरित बी०पी०एल० कार्ड में भी राशन नहीं मिल रहा है;	ए०पी०एल० कार्ड प्रिन्टिंग संबंधी कार्य प्रक्रिया में है चूँकि राशन कार्ड डिजिटाईजेशन में बी०पी०एल० कार्ड को प्राथमिकता दी गई थी। अतः अब तक कुल मुद्रित हुये बी०पी०एल० कार्डों को जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व में वितरित बी०पी०एल० कार्ड पर भी सभी कार्डधारियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
4– यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुर्ण रूप से कार्ड वितरित करते हुए राशन व किरोसिन आपुर्ति करनें की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यों ?	52,29,522 राशन कार्डो का डिजिटाईजेशन का कार्य हो चुका है। जिसमें 12,43,523 राशन कार्ड प्रिन्ट होकर प्राप्त हो चुका है जिसे वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी कार्डधारियों को राशन एवं किरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–5–10 (विधान सभा)–16/2014 597 /राँची, दिनांक 19-02-14

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय ज्ञापांक 208 वि०स०, दिनांक 15.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/2014

सरकार के सचिव।

31

श्री चन्द्रिका महथा, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड में तपसीडीह स्थित गोदवरी नदी पर जरियावागी के कर्मा नाला पर एंव जमुआ प्रखंड के धोरंजो में उसरी नदी पर चुंगलो के चुगलो नदी पर चेक डैम का निर्माण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित स्थानों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चेकडैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यो?	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह द्वारा देवरी प्रखंड के जरियाबागी के करमा नाला पर चेकडैम का कार्य की निविदा आंमत्रित की गई है, तथा सम्प्रति उक्त निविदा निस्तार के उपरांत शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। देवरी प्रखंड स्थित तपसीडीह में गोदावरी नदी पर, जमुआ प्रखंड स्थित धोरंजो में उसरी नदी पर तथा चंगुलों में चुगलो नदी पर चेकडैम निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् योजना की सम्भावयता निधि की उपलब्धता एंव क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांकः 6/ज0सं0वि0–10–01/14 1533 राँची, दिनांक– 19-2-14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–199 दिनांक 14.12.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

19/2/14
संयुक्त सचिव(अभि॰)
जल संसाधन विभाग, राँची

(321)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.02.2014 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता श्री जगरनाथ महतो, माननीय स.वि.स.	उत्तरदाता प्रभारी मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल गिरिडीह अन्तर्गत प्रतापपुर सब स्टेशन से इसरी बाजार होते हुए कुलगो तक ओल्ड फीडर में तार जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत प्रतापपुर सब स्टेशन से इसरी बाजार तक ओल्ड 11 के0भी0 फीडर में लगभग तीन कि0मी0 समिश्रित तार जर्जर है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त फीडर में तार जर्जर रहने के कारण विद्युत आपूर्ति हमेशा बाधित रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त फीडर में तार बदलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जर्जर तार को अप्रैल 2014 तक बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 371 / दिनांक 18-02-14.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को इसकी अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/14
सरकार के उप सचिव